रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 5, 2008/भाद्र 14, 1930
No. 316] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 5, 2008/BHADRA 14, 1930

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सं. 11(30)08-खान-I.—सरकार, हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण के जरिए जमा किए गए डाटा के प्रापण, प्रसंस्करण, उपयोग और अभिलेखन के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने और नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा, एक उच्च स्तरीय समिति गठित करती है। उच्च स्तरीय समिति का संघटन निम्नानुसार होगा :—

(i) सचिव, खान मंत्रालय —अध्यक्ष

(ii) अपर सचिव (खान) —सदस्य

(iii) रक्षा मंत्रालय (संयुक्त सचिव अथवा इससे उच्च स्तर का) —सदस्य

(iv) महानिदेशक, नागर विमानन —सदस्य

(v) महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य

(vi) महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो —सदस्य

(vii) महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र —सदस्य

(viii) निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग —सदस्य

(ix) महासर्वेक्षक, सर्वे ऑफ इंडिया —सदस्य

(x) सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य

(xi) निदेशक, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन —सदस्य

(xii) निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान —सदस्य

(xiii) मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, मेघालय, और कर्नाटक राज्य सरकार के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालयों के निदेशक —सदस्य

(xiv) डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स —सदस्य

(xv) डायरेक्टर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी —सदस्य

(xvi) उपमहानिदेशक (हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण —सदस्य-सचिव

2. उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित को सूत्रबद्ध करना शामिल होगा :

(i) हवाई भूभौतिकीय डाटा के लिए अनुमति प्रदान करने, इसके उपयोग, प्राप्यता और सुरक्षा संबंधी नीति।

(ii) राष्ट्रीय हित में वैकल्पिक उपयोग के लिए अन्य आकाशीय और भूभौतिकीय डाटा सृजन की प्रक्रियाओं के साथ समन्वय के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(iii) हवाई-भूभौतिकीय सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत।

3328 GI/2008

(iv) सुरक्षा संबंधी स्पष्टीकरणों के तहत आने वाले डाटा का शासकीय, शैक्षिक अथवा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए उपयोग करने संबंधी नीति।

3. समिति आवश्यकतानुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संगठन के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है और यह अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

एस. विजय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd September, 2008

No. 11|30|08-M-I.—The Government hereby constitutes a High Level Committee to frame policy guidelines and develop mechanism for acquisition, processing, utilization and archiving of data accrued through aerogeophysical survey. The High Level Committee will have the following composition :—

(i) Secretary, Ministry of Mines —Chairman

(ii) Additional Secretary (Mines) —Member

(iii) Ministry of Defence (level of Joint Secy. or above) —Member

(iv) Director General, Civil Aviation —Member

(v) Director General, Geological Survey of India —Member

(vi) Controller General, Indian Bureau of Mines —Member

(vii) Director General, National Informatics Centre —Member

(viii) Director, Atomic Mineral Division —Member

(ix) Surveyor General, Survey of India —Member

(x) Advisor, Department of Science and Technology —Member

(xi) Director, Defence Research Development Organisation —Member

(xii) Director, National Geophysical Research Institute —Member

(xiii) Director, Directorates of Geology and Mining of State Governments of Madhya Pradesh, Rajsthan, Andhra Pradesh, Chattisgarh, Orissa, Tamil Nadu, Gujarat, Jharkhand, Meghalaya and Karnataka —Member

(xiv) Director General of Hydrocarbons —Member

(xv) Director, National Remote Sensing Agency —Member

(xvi) Director (Exploration) Oil and Natural Gas Corpn. —Member

(xvii) Deputy Director General (Airborne Mineral Survey and Exploration), Geological Survey of India —Member-Secretary

2. The terms of reference of the High Level Committee will be formulation of :

(i) Policy on grant of permission, utilization, accessibility and security of aerogeophysical data.

(ii) Guidelines for coordination with other spatial and geophysical data generation processes for optional utilization in the national interest.

(iii) Guidelines for grant of permission for conduct of aerogeophysical surveys.

(iv) Policy on the use of data covered by security clarifications for official, academic or research use.

3. The Committee may co-opt representatives of Central Government and State Government Organization as per requirement and will submit its report within a period of one year.

S. VIJAY KUMAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.